

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक-रा0आ0आ0 (वाद) 07/2020- 642

राँची, दिनांक- 14.10.2020

कोर्ट नोटिस

प्रेषित,

श्री राजीव महापात्रा,

पंचायत समिति सदस्य, 03-चाकुलिया पंचायत,
प्रखण्ड-चाकुलिया, पूर्वी सिंहभूम।

विषय:-

वाद संख्या-07/2020, श्री राजीव महापात्रा, पंचायत समिति सदस्य,
03-चालुनिया पंचायत, प्रखण्ड-चाकुलिया पूर्वी सिंहभूम के मामले में सुनवाई
हेतु उपस्थित होने के संबंध में।

महाशय,

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा समर्पित अपील आवेदन के आलेक
में आयोग द्वारा सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। मामले में सुनवाई की तिथि दिनांक-20.10.
2020 को अपराहन 01:00 बजे निर्धारित की गई है।

अतः उपरोक्त निर्धारित सुनवाई में दिनांक-20.10.2020 को 01.00 बजे अपराहन में
आप अन्य शिकायतकर्ताओं मालती नायक, गुरुवाली पाल, पानी महतो एवं अश्विनी घोष के साथ प्रज्ञा
केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अपना पक्ष आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित
करें।

विश्वासभाजन

(नरेश प्रसाद कैवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक-रा0आ0आ0 (वाद) 07/2020-

राँची, दिनांक-

कोर्ट नोटिस

प्रेषित,

श्री राजीव महापात्रा,

पंचायत समिति सदस्य, 03-चाकुलिया पंचायत,

प्रखण्ड-चाकुलिया, पूर्वी सिंहभूम।

विषय:-

वाद संख्या-07/2020, श्री राजीव महापात्रा, पंचायत समिति सदस्य, 03-चालुनिया पंचायत, प्रखण्ड-चाकुलिया पूर्वी सिंहभूम के मामले में सुनवाई हेतु उपस्थित होने के संबंध में।

महाशय,

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा समर्पित अपील आवेदन के आलेक में आयोग द्वारा सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। मामले में सुनवाई की तिथि दिनांक-20.10.2020 को अपराह्न 01:00 बजे निर्धारित की गई है।

अतः उपरोक्त निर्धारित सुनवाई में दिनांक-20.10.2020 को 01.00 बजे अपराह्न में आप अन्य शिकायतकर्ताओं मालती नायक, गुरुवाली पाल, पानी महतो एवं अश्विनी घोष के साथ प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अपना पक्ष आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक:- रा0आ0आ0 (वाद) 07/2020-

642

राँची, दिनांक-

14.10.2020

प्रतिलिपि:- श्री शंभू कुमार, राज्य प्रमुख, प्रज्ञा केन्द्र को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि सम्बन्धित प्रज्ञा केन्द्र को अपने स्तर से पत्र प्राप्त कराते हुए अपीलकर्ता श्री राजीव महापात्रा, पंचायत समिति सदस्य, 03-चालुनिया पंचायत, प्रखण्ड-चाकुलिया पूर्वी सिंहभूम के मामले में सुनवाई से सम्बन्धित पत्र प्राप्त करा दें एवं यह स्पष्ट कर दें कि उन्हें सुनवाई की तिथि में किस प्रज्ञा केन्द्र में उपस्थित होना है। अधोहस्ताक्षरी को तामिला प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराना एवं कृत कार्रवाई से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।